


न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्ड न्यायपीठ रीवा, जिला-रीवा (म०प्र०)

#/जा ०/३५ रिया/२०१८/०/६९



मु० तेरसिया बाई पति रामजियावन गोड़ निवासी ग्राम पटेहरा थाना व तहसील मानपुर,
जिला-उमरिया (म.प्र.) - निगरानीकर्ता

बनाम

म०प्र० शासन जरिये अपर कलेक्टर महोदय, जिला-उमरिया (म०प्र०) -उत्तरार्थी

अधि० श्री राजेश प्र० पटेल
बारापेशा / ०८-३-१८

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता
१९५९ राजस्व प्रकरण क्र० १५४/स्व०नि०/१५-१६
आदेश पारित दिनांक २९.०७.२०१७

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार अपील प्रस्तुत है-

1. यह कि निगरानीकर्ता मु० तेरसिया बाई पति रामजियावन गोड़ उम्र ७० वर्ष निवासी ग्राम पटेहरा, थाना तहसील मानपुर, जिला-उमरिया (म०प्र०) की मूल निवासी है। तथा निगरानीकर्ता की चल व अचल सम्पत्ति ग्राम पटेहरा में स्थित है।
2. यह कि निगरानीकर्ता माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला-उमरिया (म०प्र०) के राजस्व प्रकरण क्रमांक १५४/स्व.नि./१५-१६ में पारित आदेश दिनांक २९.०७.२०१७ से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय पाने की प्रत्याशा से निगरानी प्रस्तुत कर रही है।

निगरानी के आधार

3. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २९.०७.२०१७ कानूनन एवं वाक्यातन दुरुस्त न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
4. यह कि माननीय अपर कलेक्टर महोदय उमरिया, जिला-उमरिया का राजस्व प्रकरण क्रमांक १५४/स्व.नि./१५-१६ में पारित आलोच्य आदेश दिनांक २९.०७.२०१७ प्रवृत्त रहता है या बना रहता है तो न्याय की विफलता होगी तथा पक्षकार आवेदक/ निगरानीकर्ता के विरुद्ध पारित आदेश से अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई

निगरानीकर्ता भविष्य में नहीं कर पायेगा।



नि. ३५-२२६२५

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2
भाग-अ

दो/निग./उमरिया/2018/01613

मुस. तेरसिया बाई विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-08-18	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री राजेश कुमार पटेल को ग्राहयता के तर्क पर ^{दिनांक 9/8/2018 को} सुना गया ।</p> <p>2/ आवेदिका के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर उमरिया के प्रक्र0 154/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2017 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।</p> <p>3/ मेरे द्वारा आवेदिका के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि न्यायालय के मूल प्रकरण में वर्ष 1984-85 खसरे की प्रति संलग्न न होकर वर्ष 1989-90 की प्रति संलग्न है । आवेदिका 02.10.1984 को कब्जा प्रमाणित करने में असमर्थ रहा । इसी कारण अपर कलेक्टर ने आवेदिका को मध्यप्रदेश ग्रामों के दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध 1984 के तहत जारी आलोच्य आदेश दिनांक 31.03.90 विधिनुसार पारित न होने से निरस्त किया है । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती ।</p> <p>4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आग्राहय की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो । पक्षकार सूचित हो ।</p>	


(आर.के. जैन) 28/8/18
सदस्य